न्यायालय–मुंसिफ, नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0–69/2008

CIS NO. TS-183/2018

लतीफ मियां.....वादी

बनाम

बिहार सरकार एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

DATE	ORDER	REMARKS
03.01.2026	उभय पक्षों की ओर से पैरवी है। मुदालह सं0–07 की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 20.09.2025 को उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रचालित कर कहा गया कि मुदालह सं0–07 के द्वारा इस मुकदमें में अपना जबाब दिनांक 05.04.2010 को दिया गया है जो अभिलेख पर है। इस वाद में मनमुदालह को साक्ष्य देने का कोई अवसर नहीं मिला है। मुकदमा प्रतिवादी प्रथम पक्ष के साक्ष्य के लिए दिनांक 09.07.2019 को रखा गया। दिनांक 11.01.2024 को प्रतिवादी प्रथम पक्ष (बिहार सरकार) की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ जिसके बाद प्रतिवादी को साक्ष्य देने से वंचित करने का आदेश पारित किया गया। वाद प्रतिवादी प्रथम पक्ष के साक्ष्य हेतु चल रहा था लिहाजा प्रतिवादी प्रथम पक्ष को ही साक्ष्य देने से वंचित किया जाना विधि सम्मत था दिगर प्रतिवादियों को साक्ष्य देने का कोई अवसर बिहार सरकार के साक्ष्य बंद होने के बाद ही प्राप्त हो सकता था किन्तु बिहार सरकार का साक्ष्य बंद करने के बजाय प्रतिवादी का साक्ष्य बंद करने का आदेश पारित हो गया एवं मनमुदलह सहित अन्य प्रतिवादियों के लिए साक्षी साबुत देने के अवसर समाप्त हो गए है। मनमुदालह का जबाब अभिलेख पर है तथा मनमुदालह अपना साक्षी साबुत प्रस्तुत कर विद्वान न्यायालय के सम्मुख सभी जरूरी तथ्य एवं साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहते है ताकि मुकदमे में विधि सम्मत एवं न्यायपूर्ण निर्णय और डिक्री पारित किया जा सकें। अतः श्रीमान्	

न्यायालय–मुंसिफ, नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0–69/2008

CIS NO. TS-183/2018

लतीफ मियां.....वादी

बनाम

बिहार सरकार एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

लगातार 03.01.2026	से निवेदन है कि मनमुदालह का आवेदन स्वीकार करते हुए आदेश दिनांक 11.01.2024 को न्यायहित में वापस लेते हुए मुदालह सं0–7 को इस मुकदमें में साक्षी साबुत प्रस्तुत करने का अवसर देने की कृपा की जाए। वादी की ओर से प्रतिवादीगण के आवेदन का प्रतिउत्तर दिनांक 10.11.2025 को दाखिल किया गया एवं निवेदन किया गया कि मुदालह सं0–07 का आवेदन कानून वो तथ्य के दृष्टिकोण से चलने योग्य नहीं है बहरहाल खारिज होने योग्य है। प्रतिवादी सं0–07 प्रस्तुत वाद में उपस्थित होकर आदेश दिनांक 11.01.2024 को वापस लेकर साक्ष्य वो सबुत पेश करने के अवसर की मांग है। प्रतिवादी ने प्रस्तुत आवेदन पत्र में अपने अनुपस्थिति का कोई कारण पेश नहीं किया है। प्रतिवादी सं0–07 दिनांक 05.01.2010 को उपस्थित एवं दिनांक 05.04.2010 को अपना बयान तहरीरी दाखिल किये जो 91 दिन बाद दाखिल हुआ। उसके बाद प्रतिवादी ने वाद में पैरवी करना छोड़ दिया और करीब 15 वर्षो तक कोई पैरवी नहीं किया है। यह मोकदमा 18 वर्ष पुराना है और निष्पादन के अंतिम कगार पर है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि मुदालहम सं0–7 का आवेदन खारिज कर वाद यथाशीघ्र निष्पादित करने की कृपा प्रदान की जाए। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि वाद अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत है। विधि का	

न्यायालय–मुंसिफ, नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0–69/2008

CIS NO. TS-183/2018

लतीफ मियां.....वादी

बनाम

बिहार सरकार एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

लगातार 03.01.2026	सुस्थापित सिद्धांत है कि वाद से संबंधित सभी दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य को अभिलेख पर रखा जाना चाहिए, जिससे वाद का निस्तारण अंतिम रूप से किया जा सके तथा वादों की बहुलता को रोका जा सके। अतः न्यायहित में आदेश दिनांक 11.04.2024 को रिकॉल करते हुए मुदालहम सं0–07 का आवेदन दिनांक 20.09.2015 को मो0–2000/– रूपये हर्जे पर स्वीकार किया जाता है तथा प्रतिवादीगण को निर्देश दिया जाता है कि आगामी चार तिथियों के अंदर वाद से संबंधित सभी आवश्यक साक्षियों को प्रस्तुत करें। आगामी दिनांक 17.01.2026 वास्ते वादी साक्ष्य हेतु नियत। लेखापित मुंसिफ नरकटियागंज	